



**THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED**

(M.P. Government Undertaking)

“Panchanan Bhawan”, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal – 462003

Phone : 0755-2556857 Email : mpagrohbpl@gmail.com

मुख्या / आरसीओ / उद्यान / 2025–26 / 3610

भोपाल, दिनांक 20.00.2026

वर्ष 2026–27 एवं आगे के लिये
जीवित केंचुए (Live Earthworm) के प्रदाय हेतु
रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर (RCO)

ऑनलाईन आवेदन अपलोड करने की निर्धारित दिनांक **12.02.2026**

अपरान्ह 3.00 तक

प्री-बिड मीटिंग की निर्धारित दिनांक **29.01.2026**

अपरान्ह 3.00 तक

प्रबंधक (उद्यान)



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2025-26/3610

भोपाल, दिनांक 20.01.2026

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ) सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2026-27 एवं आगे की अवधि के लिये निम्नानुसार सामग्रियों हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्रं.	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
1	जीवित केंचुए (Live Earthworm) के प्रदाय हेतु	रु 11,800/-	रु 2,00,000/-

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट अर्हताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 12.02.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी <https://mpagro.org> and www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। आरसीओ में भाग लिये जाने हेतु www.mptenders.gov.in का ही उपयोग किया जा सकेगा। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर दी जाएगी।

प्रबंधक (उद्यान)



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

जीवित केंचुए (Live Earthworm) के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रैक्ट आफर (आर.सी.ओ.)

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	डिस्क्लेमर	परिशिष्ट 1	5
2	कार्य के अवसर	परिशिष्ट 1	5
3	ऑफरकर्ता को निर्देश	परिशिष्ट 1	5
4	आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण	परिशिष्ट 1	6
5	ऑफर की सामान्य शर्तें	परिशिष्ट 2	7-12
6	तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है	परिशिष्ट 3	13
7	सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी की जानकारी	परिशिष्ट 4	14
8	ऑफरकर्ता की अहर्ता के संबंध में	परिशिष्ट 5	15
9	ऑफरकर्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप (राशि रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)	परिशिष्ट 6 एवं 6 (अ)	16-17
10	रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र (राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)	परिशिष्ट 7	18
11	DETAILS OF THE OFFERER	परिशिष्ट 8	19
12	उत्पादन स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध जीवित केंचुए (Live Earthworm) का विवरण	परिशिष्ट 8 अ	20
13	वित्तीय ऑफर का प्रारूप (आन लाईन पोर्टल पर ही प्रस्तुत किया जाना है)	परिशिष्ट 9	21
14	आरसीओ प्रस्तुत व हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में अधिकार पत्र (AUTHORITY LETTER FOR AUTHORIZED SIGNATORY)	परिशिष्ट 10	22



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

रेट कान्ट्रेक्ट आफर में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार है:-

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता	उत्पादक जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो
जीवित केंचुए उत्पादक	व्यक्ति/फर्म जो जीवित केंचुए के उत्पादन में संलग्न है।
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई.एम.डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरुद्ध निगम में जमा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तथा अनुबंध अवधि में निगम के पास धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगी।
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है
क्षेत्रीय प्रबंधक	निगम के संभावित (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधक
जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक	निगम के जिला (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित जिला कार्यालयों के जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक
वेबसाइट	www.mptenders.gov.in
निगम की वेबसाइट	mpagro.org

1. अस्वीकारणीय (Disclaimer)

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है, इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तों के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह प्री-बिड मीटिंग दिनांक 29.01.2026 को सायं 3 बजे तक ई-मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजी जाए। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति द्वारा कार्यालयीन प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत अथवा निर्णय दिनांक 02.02.2026 को सायं 5.00 बजे www.mptenders.gov.in एवं <http://mpagro.org> पर अपलोड किया जाएगा।

दिनांक 29.01.2026 को सायं 3.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तों तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में स्थित विकासखण्ड में आदान सामग्री का प्रदाय निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है, साथ ही निगम के स्वयं के व्यवसायिक गतिविधियां करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नहीं है। ऑफरकर्ताओं को प्रदाय आदेश में वर्णित सामग्रियों का प्रदाय, आदेश में उल्लेखित स्थल तक एवं "निर्धारित समय सीमा" में करना आवश्यक होगा।

3. आफरकर्ता को निर्देश :

- 3.1 रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mptenders.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ एवं इसमें वर्णित शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ऑफर को वेबसाइट पर अपलोड करें। निगम द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आफर को ही मान्य किया जावेगा। साथ आरसीओ के सभी अनिवार्य दस्तावेजों, जो आरसीओ प्रपत्र में कहीं भी उल्लेखित हैं, को अनिवार्य रूप से स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- 3.2 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी.पी.आई के रिजोल्यूशन में जे.पी.जी अथवा पी.डी.एफ फॉर्मेट में अपलोड करें। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो ऐसे ऑफरकर्ता के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा।
- 3.3 ऑफरकर्ता द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किये गये आर.सी.ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
- 3.4 सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियां कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेटवर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों।
- 3.5 आरसीओ द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रपत्र शुल्क एवं संकल्प धनराशि ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 3.6 आरसीओ के वित्तीय प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
- 3.7 सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।
- 3.8 प्रदायक द्वारा एम.पी.एग्रो में पंजीकृत होने के उपरांत विभाग के एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर कय आदेश प्राप्ति दिनांक, सामग्री प्रदायगी की दिनांक, देयक प्रस्तुती दिनांक, भुगतान प्राप्ति की दिनांक आदि जानकारी अपलोड की जावेगी।

नोट:- ऐसे ऑफरकर्ताओं के ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिनके साथ निगम का कोई विवाद, वाद, न्यायालयीन प्रकरण या अपराधिक प्रकरण लंबित/प्रचलित है।

2. आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

क्रं	विवरण	दिनांक एवं समय सारणी
1	ऑनलाइन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य GST सहित	राशि रु 11,800.00
2	आन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 12.02.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक
3	संकल्प धन राशि (EMD)	200000/- (दो लाख मात्र)
4	ऑनलाइन आरसीओ वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय सीमा	दिनांक 12.02.2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	प्री-बिड मीटिंग	दिनांक 29.01.2026 अपरान्ह 3.00 बजे एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लि. पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भोपाल में प्रबंधक (उद्यान) के कक्ष में होगी ।
6	आरसीओ में सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 29.01.2026 सायं 3.00 बजे
7	प्री-बिड मीटिंग में प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निर्णय की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि	समिति के निर्णय के कार्यालयीन आधिकारिक प्रक्रिया उपरांत जानकारी अपलोड की जावेगी ।
8	ऑनलाइन तकनीकी बिड के खोले जाने की निर्धारित तिथि एवं समय (ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की स्थिति में ऑफर को मान्य नहीं किया जाएगा)	दिनांक 12.02.2026 अपरान्ह 5.00 बजे तक
9	उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय बिड को खोला जाना	तकनीकी बिड की कार्यालयीन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात सूचना निगम की वेबसाईट mpagro.org एवं mptenders.gov.in पर दी जाएगी ।

नोट— उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। ऑफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त आर.सी.ओ. के संदर्भ में वेबसाईट पर समय-समय पर देखकर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति से अवगत हों।

उद्देश्य— शासन के विभिन्न योजना अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के सामग्री उचित एवं न्यूनतम मूल्य पर प्रदेश के कृषकों/विभाग को सही समय पर उपलब्ध होवे।

ऑफर की सामान्य शर्तें

वर्ष 2026-27 एवं आगे की अवधि में आरसीओ के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले सामग्रियों के प्रदाय हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से रेट कांट्रेक्ट किये जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं। दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी।

रेट कांट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. ऑफर प्रस्तुत करने की अर्हता

प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ट क्रमांक 3** अनुसार रहेंगी।

2. आर.सी.ओ प्रपत्र का कय- रेट कांट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य (वापसी योग्य नहीं) व निर्धारित तिथियों का विवरण आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित है तथा निर्धारित राशि का ऑनलाइन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

3. प्री-बिड मीटिंग- रेट कांट्रेक्ट आफर के अनुसार दिनांक 29.01.2026 को निगम मुख्यालय में महाप्रबंधक (लेखा) के कक्ष में अथवा मेजनाईन तल पर आयोजित होगी। संभावित निविदाकार रेट कांट्रेक्ट के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/सुझाव दिनांक नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदनुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रपत्र में किये जा सकेंगे जो रेट कांट्रेक्ट प्रपत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री-बिड मीटिंग के उपरांत रेट कांट्रेक्ट आफर की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित ऑफरकर्ता आर.सी.ओ. प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली-भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिति न रहे।

4. ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

4.1 वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किये गये रेट कांट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए ऑफर के साथ अपलोड करते हुए निर्धारित समय एवं तिथि तक ऑनलाइन प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी।

4.2 एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा।

4.3 वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।

4.4 सशर्त रेट कांट्रेक्ट- निगम द्वारा रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जावेगी। सशर्त ऑफर को अमान्य किया जावेगा।

4.5 स्टार्टअप के लिए प्रावधान-

भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 22 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्टार्टअप को अनुभव टर्नओवर जैसी समस्त संबंधित योग्यताओं में छूट दी जायेगी। छूट की पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.6 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अद्यमियों के लिए प्रावधान-

भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 23.1 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले अद्यमियों को पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.7 सूक्ष्म और लघु उद्यमों स्टार्टअप के लिए प्रावधान-

मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप के लिए भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रमांक 14.1 के अनुसार ईएमडी में छूट दी जायेगी।

पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

5. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त एवं दर वैधता

- 5.1 ऑफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट क्रमांक 9 अनुसार दी जाना आवश्यक है।
- 5.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी।
- 5.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की शर्त क्रमांक 21 के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है।
- 5.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैधता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढ़ाया जा सकता है।
- 5.5 ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनों में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा।

6. सैंपल प्रस्तुत किये जाना :

सैंपल प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, आवश्यकता पड़ने पर आफरकर्ता की नर्सरी का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सैंपल लिये जा सकेगे। आरसीओ में वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किये जाने दशा में आफर अमान्य किया जाएगा।

7. संकल्प धन राशि (EMD) :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि रु. 2,00,000.00 ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संकल्प धनराशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को मान्य नहीं किया जायेगा। पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नहीं किया जाएगा।

7.1 सुरक्षा धन राशि— ऑफरकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि/संकल्प धन राशि सफल निविदा होने पर सुरक्षा धन राशि में परिवर्तित हो जावेगी। MSME अंतर्गत छूट प्राप्त ऑफरकर्ताओं को अनुबंध के समय राशि रु. 2.00 लाख निगम में जमा करना अनिवार्य रहेगा, जो आरसीओ की समाप्ति तक अथवा अनुबंध की प्रभावशीलता लागू रहने तक जमा रहेगी।

8. संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :—

- 8.1 निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
- 8.2 ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
- 8.3 आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
- 8.4 निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार
- 8.5 एक फर्म/ऑफरकर्ता द्वारा mptenders.gov.in पर एक से अधिक ऑफर दिये जाने की दशा में।

9. धरोहर राशि :

9.1 आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास आरसीओ की समाप्ति तक अथवा अनुबंध की प्रभावशीलता लागू रहने तक जमा रहेगी।

9.2 अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद कोई विवाद न होने की दशा में एवं समस्त भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा फर्म के लेटरहेड पर आवेदन में आरसीओ क्रं ... दिनांकउल्लेख करते हुए मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

9.3 धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :—

(क) निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर एवं प्रदाय आदेश उपरांत प्रदायगी से मना किये जाने पर

(ख) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में

(ग) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

(घ) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

10. ऑफर की वैधता :

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 90 दिवस तक मान्य रहेंगे। अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

11. भुगतान पश्चात भुगतान

विदित हो कि उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग अथवा अन्य विभाग के योजनांतर्गत आरसीओ में वर्णित सामग्री की प्रदायगी हेतु राशि निगम को प्राप्त होती है। प्रदायक द्वारा प्रदाय किये जाने पश्चात जारी देयक का भुगतान निगम द्वारा विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरांत किया जा सकेगा। अतः **भुगतान पश्चात भुगतान का अर्थ विभाग की योजनांतर्गत विभाग से निगम को राशि प्राप्त होने पर प्रदायक को भुगतान किया जा सकेगा।**

12. अनुबंध का निष्पादन—

12.1 जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन आफरकर्ताओं द्वारा प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य किया गया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क. 6 एवं 6 (अ)) के अनुसार राशि रुपये 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित एवं नोटराइज कर कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।

12.2 आफरकर्ता(ओं) जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों को निगम द्वारा स्वीकार किया गया है । ऐसे ऑफरकर्ताओं द्वारा अधिकतम 07 दिवस में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा ऐसे ऑफरकर्ताओं की जमा संकल्प धनराशि को निगम जप्त कर सकेगा।

12.3 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। **दरों की वैधता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढ़ाया जा सकता है।**

12.4 निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात **आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा।**

12.5 अनुबंध के समय समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ ऑफरकर्ता उपस्थित होंगे।

13. दरें स्वीकार की जाना :

13.1 सामान्यतः आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा।

13.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर दें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें। ऐसे आफरकर्ता जिन्हें प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं है, को “प्रतिप्रस्तावित दरों के बाबत सूचना निगम हार्ड कापी के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना आवश्यक होगी अथवा प्रतिप्रस्तावित दर मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. प्रदाय की प्रक्रिया —

14.1 प्रदाय आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि में तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय, प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

14.2 वांछित मात्रा में पैकिंग का कार्य क्रेता विभाग/संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

14.3 सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा शिकायत का निराकरण किया जाना होगा। उपयोगकर्ता अर्थात् अंतिम उपभोक्ता को उनके नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक द्वारा की जावेगी।

15. बिना आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नहीं किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

16. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया, समय सीमा एवं शास्ति (पेनाल्टी)

- 16.1** प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण बताये जाने पर यह समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।
- 16.2** आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।
- 16.3** प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी।

क्रं	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	पांचवे से छठवे सप्ताह तक	0.75% प्रति सप्ताह
4	सातवे से आठवे सप्ताह तक	1.00 % प्रति सप्ताह
5	नवें से दसवें सप्ताह तक	1.25 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6	ग्यारहवें से बारहवें सप्ताह तक	1.50 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
7	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए। 21% शास्ति (पेनाल्टी) जो की प्रदायक की धरोहर राशि अथवा निगम के अन्य जिलों से किये जानें वाले भुगतान की राशि से वसूली की जावेगी।

17. आदेश की प्रक्रिया :

- 17.1** आदेश जारी करने के लिए अधिकृत – **क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय**।
- 17.2** सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नहीं किया जाएगा।
- 17.3** निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में क्रेता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा। निगम द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर सामग्री गंतव्य स्थल पर पहुंचानी होगी।
- 17.4** परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। अतः प्रदायक से आशा की जाती है कि वे उपयुक्त बीमा करा लेंगे।

18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड, पैकिंग, संख्या, मात्रा एवं समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

- 18.1** उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में।
- 18.2** निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो इसकी सूचना प्रदायक को निगम द्वारा पत्र/दूरभाष/ई मेल के माध्यम से दी जाएगी तथा प्रदायक को स्वयं के व्यय पर निर्धारित समय सीमा में वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

19. भुगतान :

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में मुख्यालय स्तर से/निगम के संबंधित जिला कार्यालयों से निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

- 19.1** प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और

निगम के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 7 दिवस में किया जावेगा।

19.2 देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त संतुष्टि प्रमाण पत्र की रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने पर किया जावेगा।

19.3 यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है व प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है व निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

20. क्रय प्राथमिकता

भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रं 23.1 अन्तर्गत उल्लेखित नियम 31 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा जिन सामग्रियों या उत्पादों की सूची प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय हेतु अनुमोदित की जाएगी, उस सामग्री के क्रय पर यह प्रावधान लागू होंगे :-

20.1 यदि एल-1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं का नहीं है, तो प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनके द्वारा निविदा में एल-1+15 प्रतिशत की सीमा में दर प्रस्तुत की गई है, को एल-1 दर पर उनकी क्षमता के दृष्टिगत अधिकतम 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत मात्रा तक की सामग्री क्रय की जाएगी।

20.2 यदि प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं की स्थापित क्षमता आदेशित सामग्री के निर्धारित समयावधि में प्रदाय हेतु पर्याप्त नहीं है तो उक्त स्थिति में शेष मात्रा के एल-1 दर पर प्रदाय हेतु निविदा में सहभागी प्रदेश के अन्य दो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों/उद्यमों को उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के घटते हुए क्रम में आवंटित की जायेगी।

20.3 प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ता द्वारा एल-1, दर पर सामग्री के प्रदाय हेतु असहमति व्यक्त करने की दशा में पूर्ण क्रय एल-1 दर प्रस्तुतकर्ता से किया जायेगा।

20.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से (25% में से 4%) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिन्हित होंगे, परंतु ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा/टेण्डर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिन्हित 4 प्रतिशत का अन्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।

20.5 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में खरीद के लिए उपार्जन 25% में से 3%) किया जायेगा। उक्त 03 प्रतिशत में महिलाओं के स्व-सहायता समूह के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को प्राथमिकता दी जायेगी।

पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

21. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक अथवा आरसीओ के समाप्त होने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।

22. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तों पर सहमत हैं।

23. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
24. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।
25. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य-दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन/नर्सरी का निरीक्षण कर सकेंगे।
26. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के प्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण मात्र भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 26.1 यदि न्यायालयीन आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आरबीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त आरबीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
27. निगम के प्रबंध संचालक को रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अनुबंध निष्पादन के पूर्व एवं पश्चात् अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रबन्धक (उद्यान)

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है

कं	विवरण	हस्ताक्षर सहित अपलोड किये गए दस्तावेजों का पृष्ठ क्रं
1	फर्म का विवरण व पंजीयन के संबंध में दस्तावेज परिशिष्ट 8 के अनुसार	
1	जीवित केंचुएँ के उत्पादन में संलग्न है व उत्पादन स्थल पर वर्तमान में प्रजातिवार उपलब्ध केंचुओं के संबंध में अंडर टैकिंग परिशिष्ट 8 अ	
2	जीवित केंचुएँ का उत्पादन स्थल का विस्तृत जानकारी (प्रत्येक उत्पादन स्थल हेतु अलग अलग जानकारी व प्रजातिवार उपलब्ध मात्रा सहित प्रस्तुत की जाए) परिशिष्ट 8 अ	
3	उपलब्ध जीवित केंचुएँ का विवरण एवं मात्रा की स्व प्रमाणित प्रति जो रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत निगम को उपलब्ध कराये जा सकेंगे परिशिष्ट 8 अ	
4	आफरकर्ता फर्म का स्थाई लेखा संख्या (PAN) तथा GSTN	
5	धरोहर राशि आन लाईन राशि जमा करते हुए रसीद अपलोड किया जाना होगा	
6	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 7 के अनुसार राशि रु 500/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग	
7	आफरकर्ता डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आर सी ओ के समस्त प्रपत्र आनलाईन अपलोड किया जाना है	
8	स्टार्टअप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले उद्यमियों को पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
9	परिशिष्ट 10 के अनुसार आरसीओ प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अधिकार पत्र	

वित्तीय आफर –

परिशिष्ट कमांक 9 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर मात्र mptenders.gov.in वेबसाइट पर ही आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

1. तकनीकी मापदंड

Sr	Specification
1	EISENIA FOETIDA - Minimum number of earthworms must be 1000 per Kg. weight. It must have at least 60% Adult Worms.
2	EUDRILUS EUGENIAE - Minimum number of earthworms must be 1000 per Kg. weight. It must have at least 60% Adult Worms.

1. Supply System (packing) shall be done in appropriate packing along with vermi compost in proper moisture so that worms could reach F.O.R. destination in live and healthy condition.
2. Live Earthworm should be packed in such a manner so as to sustained outside temperature up to 46 degree centigrade.
3. The bidder has to supply requisite material F.O.R. basis that may be District Office/Block Office as per order.
4. The bidder will be fully responsible for the Quality (purity of worms species) and Quantity of the material supplied to the consignee.

ऑफरकर्ता की आहर्ता के संबंध में

जीवित केंचुए (Live Earthworm)

जीवित केंचुए के उत्पादक जो निम्नानुसार शर्तें पूरी करता हो, के प्रस्ताव को ही विचार क्षेत्र में रखा जावेगा :-

1. आवेदक निजी व्यक्ति / प्रोपराईटरी/ पार्टनरशिप/ कंपनी / सहकारी समिति हो सकती है, जो जीवित केंचुए के उत्पादन व विक्रय के कार्य में संलग्न हो।
(स्वयं उत्पादक होने के संबंध में अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है)
2. आवेदक का एक से अधिक उत्पादन स्थल पर उत्पादन कार्य होने की दशा में सभी उत्पादन स्थलों को विवरण दिया जाना आवश्यक है।
3. आयकर विभाग का पंजीयन PAN व GSTN होना आवश्यक है ।
4. आफरकर्ता द्वारा जिन जीवित केंचुए प्रजाति के दर आफर दिये जा रहे हैं वे उनके पास पर्याप्त मात्रा (न्यूनतम 1000 किलोग्राम) में होना आवश्यक है।

नोट:-

ऑफरकर्ता को उपरोक्त बिंदुओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3 के अनुसार)।

:: अनुबंध ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रु. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स की ओर से श्री जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित कर जीवित केंचुएँ प्रदाय हेतु दिनांक को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) कय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तों को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट्स अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा जिन जीवित केंचुएँ प्रजाति के प्रदाय हेतु हमारी दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न है को (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे—

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारीयां ।

यदि प्रदायक आरसीओ की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और मान्य रहेगा ।

उपरोक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

हस्ताक्षर प्रदायक

हस्ताक्षर प्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

गवाह :

1.

1.

2.

2.

:: अनुबंध का परिशिष्ट ::

प्रदायक का नाम एवं पता

.....

ईमेल

मोबाईल नं.

क्र०	जीवित केंचुएँ	प्रजाति	प्रदाय दर रुपये प्रति किलोग्राम सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर.विकास खण्ड स्तर (प्रदायगी स्थल) तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर

एवं सील

वर्ष 2024-25 एवं आगे की अवधि के लिये निगम के माध्यम से जीवित केंचुए (Live Earthworm) के प्रदाय हेतु

रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैंमेसर्सकी ओर से निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ। मेसर्सद्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तों के अनुसार सामग्री के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड व नियम अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है। हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदनुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे। यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी भी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो निगम उस हानि की पूर्ति हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रुपये/- एवं हमारे बिलों से कर सकता है।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा न ही कभी हमें प्रदायगी के संबंध में दंडित किया गया है। इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

हमारे द्वारा संकल्प धन राशि रुपये/- प्रस्तुत की जा रही है, जो ऑफर मान्य होने की दशा में मैं धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों एवं नियम को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदनुसार सभी शर्तों एवं नियमों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर

एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

(रुपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer/ Firm	
2	Complete Postal address of the individual Offerer/Firm	
3	PHONE NO.	Office : Mobile :
4	E mail address	
5	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date
6	GST Registration number (if applicable)	
7	Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).	
8	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. IFSC Code Bank Account No
9	State whether Producer / Distributor / Dealer.	
10	Startup / M.S.M.E Registration	Registration No.:..... Date of issue:.....
11	Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.	
12	Do you have any associate company(s)?	
	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Email, etc	

Signature of Offerer

परिशिष्ट कमांक 8 (अ)

उत्पादन स्थल में उपलब्ध जीवित केंचुएँ का विवरण

आफरकर्ता द्वारा स्वयं के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जावे

मेरी उत्पादन ईकाई..... (पूर्ण नाम एवं पता) पर स्थित है जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है—

क्रं	आवश्यक जानकारी	आवेदक द्वारा विवरण दिया जावे
1.	उत्पादन ईकाई का नाम	
2.	उत्पादन स्थल	
	खसरा नंबर	
	ग्राम	
	तहसील	
	जिला	
3.	उत्पादन स्थल में केंचुएँ के उत्पादन हेतु निर्मित वर्मीबेड ईकाईयों की संख्या	
4.	ईकाई का स्थापना वर्ष	
5.	केंचुएँ के उत्पादन हेतु मंदर स्टॉक प्राप्त करने का सोर्स	

उपरोक्त उत्पादन स्थल पर निम्नानुसार जीवित केंचुएँ उपलब्ध हैं, निम्नानुसार जीवित केंचुएँ निगम को उपलब्ध करावा सकता हूँ

क्रं	जीवित केंचुएँ	प्रजाति	उत्पादन स्थल में उपलब्ध जीवित केंचुएँ की मात्रा	निगम को उपलब्ध कराये जा सकने वाली मात्रा
1				
2				
3				

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

वित्तीय आफर (FINANCIAL OFFER)

01. NAME OF THE OFFERER

परिशिष्ट क्रमांक 9

PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)

Sl. No.	Item Description	VARIETY	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
Live Earthworm									
1.01	EISENIA FOETIDA Minimum number of Worms must be 1000 per Kg. weight. It must have at least 60% Adult Worms	EISENIA FOETIDA	1	KG					
1.02	EUDRILUS EUGENIAE Minimum number of Worms must be 1000 per Kg. weight. It must have at least 60% Adult Worms.	EUDRILUS EUGENIAE	1	KG					

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

नोट— उपरोक्त फॉर्मेट केवल आफरकर्ताओं की प्रदर्शन की सुविधा हेतु संलग्न किया गया है इसमें दरों का उल्लेख नहीं किया जाना है। वास्तविक रूप से आन लाईन पोर्टल पर प्रदर्शित फॉर्मेट में दरें प्रस्तुत की जाना आवश्यक है

AUTHORITY LETTER FOR AUTHORIZED SIGNATORY
(ON OFFERER'S LETTER HEAD)

I/We _____ undersigned in the capacity of Proprietor /
Board of Director / Partner of the firm M/s
_____ having office at.....
..... hereby authorise Shri
.....Designation.....(Aadhaar No
.....) to signed all the required document regarding submission of E-tender
and agreement on behalf of the firm/ company.

Name, Signature and Seal
of person authorise to sign

Name, Signature and Seal
of Proprietor /Board of Director /Partner

Seal of the firm

Note :

- *To be submitted in original.*
- *In Case of Pvt Ltd Company it should be supported with board resolution. In other case it should be issued by Proprietor/ Managing Partner.*
- *It should be supported with copy of Aadhar Number duly signed by the person signing the Documents*